क□-□भन्न □□□स□

(□□□□ रु□□)

कर-भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015	बजट 2015-2016	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवंलाभ						
1.	*ब्याज प्राप्ति*					
1.01.	राज्य	0049	8316.80	7759.97	7271.44	7743.90
1.02.	संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल युक्त)	0049	49.95	379.72	374.70	374.72
1.03.	रेलवे द्वारा देय ब्याज					
1.03.01.	लगी पूंजी पर लाभांश (सामान्य राजस्व द्वारा देय आर्थिक सहायता को घटाकर)	0049	5100.24	6058.91	4751.35	5407.37
1.03.02.	सामान्य राजस्व द्वारा देय आर्थिक सहायता	0049	4024.46	4728.71	3720.97	4300.80
1.03.03.	रेल यात्री किराए पर कर के एवज़ म रेलवे द्वारा अदायगी	0049	23.12	23.12	23.12	23.12
जोड़ -रेलवे द्वारा देय याज			9147.82	10810.74	8495.44	9731.29
1.04.	अन्य ब्याज प्राप्तियां	0049	30470.62	25713.02	26859.54	27970.52
1.04.01.	घटाइए-व्यय के प्रति घटाई गई प्राप्तियां	0049	-24181.28	-21064.12	-19858.96	-16200.00
□□□□-ब्याज प्राप्ति			23803.91	23599.33	23142.16	29620.43
2.	*लाभांश और लाभ*					
2.01.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम और अन्य निवेशों से लाभांश	0050	31691.91	36174.14	44365.83	53883.05
2.02.	भारतीय रिजव बक, राष्ट्रीयकृत बकों और वित्तीय संस्थाओं के लाभांश/अधिशेष लाभ	0050	58141.13	64477.00	73905.55	69897.00
जोड़ -लाभांश और लाभ			89833.04	100651.14	118271.38	123780.05
जोड़ -ब□□□ प्र□□से, लाभांश एवंलाभ			113636.95	124250.47	141413.54	153400.48
राजकोषीय सेवाएं						
3.	*राजकोषीय सेवाएं*					
3.01.	करसी, सिक्का निमाण और टकसाल (सिक्कों के परिचालन से लाभ	0046	1296.72	600.00	600.00	600.00
3.02.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0047	96.87	155.00	103.00	103.00
जोड़ -राजकोषीय सेवाएं			1393.59	755.00	703.00	703.00
जोड़ -राजकोषीय सेवाएं			1393.59	755.00	703.00	703.00
सामा य सेवाएं						
4.	*सामान्य सेवाएं*					
4.01.	प्रशासनिक सेवाएं					
4.01.01.	लोक सेवा आयोग	0051	75.99	183.00	147.00	168.00
4.01.02.	पुलिस	0055	4806.75	4622.00	5752.50	5552.60
4.01.03.	पूर्ति और निपटान					
4.01.03.01.	पूर्ति और निपटान	0057	152.55	138.00	144.00	165.00
4.01.03.02.	घटाइए-प्राप्तियां	0057	...	...	...	...
□□□□			152.55	138.00	144.00	165.00
4.01.04.	लेखन सामग्री और मुद्रण	0058	22.69	19.00	18.78	19.00
4.01.05.	लोक निमाण काय	0059	129.48	130.92	131.12	131.12
4.01.06.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0070	5462.93	5853.55	5451.33	5737.39
□□□□-प्र□□□□□□ □□□□□			10650.39	10946.47	11644.73	11773.11
4.02.	पशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध म अंशदान और वसूलियां					
4.02.01.	पशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध म अंशदान और वसूलियां	0071	1348.13	2268.55	2572.51	2483.50
4.02.02.	घटाइए प्राप्तियां	0071	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
□□□□-□□□ □□ □□□ □□□□□□□ति □□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□ □□□□□□			1348.13	1268.55	1572.51	1483.50
4.03.	विविध सामान्य सेवाएं	0075	14982.72	16476.12	15923.56	16782.16
4.03.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - कटीन स्टोस विभाग को प्राप्तियां	0075	-13501.72	-14924.62	-14424.62	-15125.00

([illegible])

कर-भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015	बजट 2015-2016	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
4.03.02.	घटाइए - प्राप्तियां	0075	-7.71	-5.18	-2.53	-45.79
[illegible]			1473.29	1546.32	1496.41	1611.37
4.04.	रक्षा सेवाएं					
4.04.01.	रक्षा सेवाएं - सेना	0076	2540.44	2836.88	2908.38	3155.17
4.04.01.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0076	-2540.44	-2836.88	-2908.38	-3155.17
[illegible]			...	...	...	...
4.04.02.	रक्षा सेवाएं - नौसेना	0077	673.13	600.00	250.00	400.00
4.04.02.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0077	-673.13	-600.00	-250.00	-400.00
[illegible]			...	...	...	...
4.04.03.	रक्षा सेवाएं - वायु सेना	0078	2944.24	1300.00	1300.00	1300.00
4.04.03.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0078	-2944.24	-1300.00	-1300.00	-1300.00
[illegible]			...	...	...	...
4.04.04.	रक्षा सेवाएं - आयुध कारखाने	0079	1719.32	1678.93	1951.59	1908.85
4.04.04.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0079	-1719.32	-1678.93	-1951.59	-1908.85
[illegible]			...	...	...	...
4.04.05.	रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास	0080	461.62	65.00	300.00	120.00
4.04.05.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0080	-461.62	-65.00	-300.00	-120.00
[illegible]			...	...	...	...
[illegible]			...	...	...	...
[illegible]			13471.81	13761.34	14713.65	14867.98
[illegible]			13471.81	13761.34	14713.65	14867.98
[illegible]						
5.	*सामाजिक सेवाएं*					
5.01.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0202	109.35	132.96	104.99	108.80
5.02.	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0210	320.82	379.83	326.80	349.01
5.03.	परिवार कल्याण	0211	33.02	40.20	18.66	18.68
5.04.	आवास	0216	150.49	169.42	240.26	248.15
5.05.	शहरी विकास	0217	...	0.05	0.05	0.05
5.06.	सूचना और प्रचार-प्रसार	0220	209.05	5141.76	4490.05	6057.96
5.07.	प्रसारण	0221	836.52	...	5684.34	...
5.07.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0221	...	...	-5684.34	...
5.08.	श्रम और रोजगार	0230	14.84	14.17	14.18	14.18
5.09.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0235	0.78	0.42	0.52	1500.55
5.10.	अन्य सामाजिक सेवाएं	0250	...	...	...	...
[illegible]			1674.87	5878.81	5195.51	8297.38
[illegible]			1674.87	5878.81	5195.51	8297.38
[illegible]						
6.	*आर्थिक सेवाएं*					
6.01.	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप					
6.01.01.	फसल काय	0401	207.89	195.06	200.01	200.01
6.01.01.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0401	...	...	...	...
[illegible]			207.89	195.06	200.01	200.01
6.01.02.	पशु पालन	0403	19.64	28.75	17.45	17.45
6.01.03.	डेयरी विकास	0404	393.74	550.73	460.28	550.41
6.01.03.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - दिल्ली दुग्ध योजना को प्राप्तियां	0404	-393.49	-550.73	-460.00	-550.00
[illegible]			0.25	...	0.28	0.41
6.01.04.	मात्स्यिकी	0405	3.49	6.14	5.63	5.63
6.01.05.	वानिकी एवं वन्य जीवन	0406	15.95	26.00	31.00	31.00

([illegible])

कर-भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015	बजट 2015-2016	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
6.01.05.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0406	-2.31	-6.00	-6.00	-6.00
[illegible]			13.64	20.00	25.00	25.00
6.01.06.	बागान	0407	...	...	...	...
6.01.07.	खाद्य भंडारण और भांडागार	0408	3.15	8.73	7.03	7.03
6.01.08.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0415	0.06	0.01	0.05	0.01
6.01.09.	अन्य कृषि कायक्रम	0435	16.21	19.50	16.00	16.00
[illegible]			264.33	278.19	271.45	271.54
6.02.	सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण					
6.02.01.	वृहत और मध्यम सिचाई	0701	17.43	20.00	19.76	21.50
6.02.02.	लघु सिचाई	0702	0.52	0.21	0.56	0.58
[illegible]			17.95	20.21	20.32	22.08
6.03.	ऊजा					
6.03.01.	विद्युत	0801	3286.60	3236.98	14435.96	14613.53
6.03.01.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - बदरपुर ताप विद्युत कद्र को प्राप्तियां	0801	-228.88	-208.57	-208.58	-98.28
6.03.01.02.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - ईंधन वस्तु सूची को प्राप्तियां	0801	-2123.74	-2027.65	-2236.89	-2800.00
[illegible]			933.98	1000.76	11990.49	11715.25
6.03.02.	पेट्रोलियम	0802	14480.07	14034.34	10756.06	12401.33
6.03.03.	कोयला और लिग्नाईट	0803	6179.26	0.10	600.00	3551.32
6.03.04.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊजा	0810	0.14	0.18	0.13	0.08
[illegible]			21593.45	15035.38	23346.68	27667.98
6.04.	उद्योग और खनिज					
6.04.01.	ग्राम और लघु उद्योग	0851	23.96	28.25	21.91	23.37
6.04.02.	उद्योग	0852	2024.63	2866.87	2396.18	2967.15
6.04.02.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - ईंधन संरचना सुविधाएं को प्राप्तियां	0852	-1816.83	-2593.03	-2130.58	-2680.10
6.04.02.02.	घटाइए - क्षेत्र म अन्य प्राप्तियां	0852	...	...	...	...
[illegible]			207.80	273.84	265.60	287.05
6.04.03.	अलौह खनन और धातुकम उद्योग	0853	18.21	30.20	26.15	29.17
6.04.04.	अन्य उद्योग	0875	255.94	400.43	312.70	312.70
6.04.04.01.	घटाइए- वाणिज्यिक विभाग - अफीम और अल्कालायड कारखानों को प्राप्तियां	0875	-255.94	-400.43	-312.70	-312.70
[illegible]			...	...	...	...
[illegible]			249.97	332.29	313.66	339.59
6.05.	परिवहन					
6.05.01.	पत्तन और दीपस्तंभ	1051	222.28	251.60	252.01	252.05
6.05.01.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - दीपस्तम्भ तथा दीप पोतों को प्राप्तियां	1051	-220.40	-250.00	-250.00	-250.00
[illegible]			1.88	1.60	2.01	2.05
6.05.02.	पोत परिवहन	1052	83.69	72.70	97.81	106.34
6.05.03.	नागर विमानन	1053	33.51	37.50	30.45	38.03
6.05.04.	सड़क और पुल	1054	6102.87	6711.00	6233.00	9480.00
6.05.05.	सड़क परिवहन	1055	...	...	...	...
6.05.06.	अंतदशीय जल परिवहन	1056	8.01	...	...	...
6.05.07.	अन्य परिवहन सेवाएं	1075	...	...	...	...
6.05.08.	डाक प्राप्तियां	1201	11635.98	12036.87	12614.01	13827.05
6.05.08.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग - डाक सेवाओं को प्राप्तियां	1201	-11635.98	-12036.87	-12614.01	-13827.05
[illegible]			...	...	...	...

([illegible])

कर-भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015	बजट 2015-2016	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
[illegible]			6229.96	6822.80	6363.27	9626.42
6.06.	संचार					
6.06.01.	अन्य संचार सेवाएं	1275	30624.18	42865.62	57383.89	98994.93
6.06.01.01.	घटाइए-प्राप्तियां	1275	...	...	-1349.54	...
[illegible]			30624.18	42865.62	56034.35	98994.93
6.07.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण					
6.07.01.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	1401	48.73	61.65	60.65	55.28
6.07.02.	अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	1425	768.02	868.82	738.35	689.74
[illegible]			816.75	930.47	799.00	745.02
6.08.	सामान्य आर्थिक सेवाएं					
6.08.01.	विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं	1453	137.51	131.50	139.40	139.40
6.08.02.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1475	4773.02	7570.91	5004.00	3608.92
6.08.02.01.	घटाइए प्राप्तियां	1475	...	...	...	...
[illegible]			4773.02	7570.91	5004.00	3608.92
6.08.03.	पर्यटन	1452	10.88	30.00	32.00	35.00
6.08.04.	नागरिक आपूर्ति	1456	0.02	0.01	0.02	0.02
[illegible]			4921.43	7732.42	5175.42	3783.34
[illegible]			64718.02	74017.38	92324.15	141450.90
7.	*रेल बजट के अनुसार रेल राजस्व*					
7.01.	भारतीय रेलवे विविध प्राप्तियां	1001	4306.71	4978.71	3970.97	4450.80
7.01.01.	घटाइए - विविध प्राप्तियां	1001	-4306.71	-4978.71	-3970.97	-4450.80
7.02.	भारतीय रेलवे - वाणिज्यिक लाइन	1002	155904.05	183578.00	167834.00	184819.84
7.02.01.	घटाइए - प्राप्तियां	1002	-155904.05	-183578.00	-167834.00	-184819.84
7.03.	भारतीय रेलवे - सामरिक लाइन	1003	806.49	...	...	...
7.03.01.	घटाइए - प्राप्तियां	1003	-806.49	...	...	...
[illegible]			...	...	...	...
[illegible]			64718.02	74017.38	92324.15	141450.90
[illegible]						
8.	*सहायतानुदान तथा अंशदान*					
8.01.	विदेश अनुदान सहायता					
8.01.01.	बहुपक्षीय					
8.01.01.01.	एशियाई विकास बैंक	1605	2.41	...	...	...
8.01.01.02.	अंतराष्ट्रीय कृषि विकास निधि	1605	1.00	...	...	...
8.01.01.03.	अंतराष्ट्रीय पुर्ननिर्माण तथा विकास बैंक	1605	92.00	106.00	72.45	100.21
8.01.01.04.	अंतराष्ट्रीय विकास संघ	1605	7.00	...	...	...
[illegible]			102.41	106.00	72.45	100.21
8.01.02.	द्विपक्षीय					
8.01.02.01.	जर्मनी	1605	23.00	32.00	38.50	41.00
8.01.02.02.	जापान	1605	...	...	20.00	...
8.01.02.03.	यूनाइटेड किंगडम (डीएफआईडी)	1605	601.33	400.00	257.39	...
8.01.02.04.	ईईसी	1605	...	332.77	301.32	...
8.01.02.05.	यूएसएआईडी	1605	...	8.50	78.20	101.00
[illegible]			624.33	773.27	695.41	142.00
8.01.03.	अंतराष्ट्रीय निकाय					
8.01.03.01.	वैश्विक पर्यावरण निधि	1605	679.10	890.00	1717.00	1880.00
8.01.03.02.	यूएनडीपी	1605	35.00	4.50	20.50	52.00
8.01.03.03.	यूएनपीएफ	1605	1.00	...	1.00	1.00
[illegible]-अंतराष्ट्रीय [illegible]			715.10	894.50	1738.50	1933.00
[illegible]			1441.84	1773.77	2506.36	2175.21

([illegible])

कर-भिन्न राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015	बजट 2015-2016	संशोधित 2015-2016	बजट 2016-2017
8.02. सहायता सामग्री और उपस्कर	1606	158.04	...	430.39	686.82
[illegible]		1599.88	1773.77	2936.75	2862.03
[illegible]		1599.88	1773.77	2936.75	2862.03
[illegible] क्षेत्रों [illegible]					
9. संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व	1710	1362.26	1295.82	1288.94	1339.33
[illegible] क्षेत्रों [illegible]		1362.26	1295.82	1288.94	1339.33
कुल जोड़		*197857.38*	*221732.59*	*258575.54*	*322921.10*

उपर्युक्त विवरण में 2016-2017 की कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों का सार दिया गया है। कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के अनुमान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं जैसे परिसंपत्तियों पर लाभांश और लाभ के रूप में प्रतिलाभ, सरकारी कार्य, विनियामक प्रभारों तथा लाइसेंस शुल्क और मुहैया कराई गई सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं पर प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में संग्रहित ब्याज, शुल्क, दंड और विविध प्राप्तियां ।

1.01 राज्यों को दिए गए ऋणों पर ब्याज : ब्याज प्राप्तियां संशोधित अनुमान 2015-16 में 77430.90 करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2015-2016 में 7743.90करोड़ रुपए अनुमानित हैं।

1.02 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को दिए गए ऋणों पर ब्याज : ब्याज प्राप्तियां संशोधित अनुमान 2015-2016 में 374.70करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2016-2017 में 374.72 करोड़ रुपए अनुमानित हैं।

1.03 रेलवे द्वारा देय ब्याज : वर्ष 2016-17 के लिए अनुमान 2015-16 हेतु अपनाई गई व्यवस्थाओं के आधार पर लगाए गए हैं। ये व्यवस्थाएं हैं (i) रिहायशी भवनों की पूंजीगत लागत जिसपर 3.5 प्रतिशत का लाभांश है, को छोड़कर रेलवे निवेश के वर्ष को ध्यान में रखे बिना, लाभांश देने वाली पूरी पूंजी पर 4 प्रतिशत का लाभांश अदा करता है (राज्यों को यात्री भाड़ा कर के स्थान पर भुगतान करने के लिए 31.3.1964 तक निवेशित सब्सिडी पूंजी घटाकर लाभांश देने वाली पूंजी पर 1.5 प्रतिशत शामिल है); (ii) रेलवे इनके संबंध में पूंजी पर लाभांश अदा नहीं करता; (क) महत्वपूर्ण लाइनें, (ख) अ-लाभकारी ब्रांच लाइनें, पूंजी पर लाभांश भुगतान से किसी खास ब्रांच लाइन की छूट लाइन की लाभदायकता की वार्षिक समीक्षा पर आधारित होती है, लाभदायता "मार्जिनल लागत" के सिद्धान्त के आधार पर निर्धारित की जा रही है, (ग) नौकावहन, कल्याण भवन (अस्पताल, औषधालय, स्वास्थ्य इकाइयां, क्लब, संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास तथा अन्य कल्याण केंद्र) और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे लाइनों नॉन स्ट्रेटेजिक हिस्सा, (घ) अयस्क लाइनें (किरिबुरू - बिमलागढ़ और संभलपुर - टिटलागढ़ लाईनें जिनमें अयस्क के वहन के लिए भाड़े की रियायती दरें लगती हैं) बशर्ते वे लाभकारी न हों, लाभदायकता मार्जिनल लागत के सिद्धान्त के आधार पर निर्धारित की जा रही है, (ङ) 1 अप्रैल, 1955 को अथवा उसके बाद की 28 नई लाइनों पर वित्तीय विचार के अलावा ध्यान दिया जाएगा सिवाय उन लाइनों को छोड़कर जो मार्जिनल लागत के सिद्धान्त को अपनाए गए वर्ष के दौरान लाभकारी बनी है। यह व्यवस्था जम्मू-कठुआ और तिरुनेवल्ली-त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी लाईनें जिन्हें राष्ट्रीय निवेश के नाम से जाना जाता है, पर भी लागू होती है। (च) सामरिक विचार कर गेज परिवर्तन कार्य हाथ में लिया गया । (छ) वर्ष में परिव्यय का 50 प्रतिशत भाग पूंजी निर्माण कार्य प्रगति पर लगाया गया (जो अन्यथा लाभांश के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है तीन वर्षों की अवधि के लिए लाभांश भुगतान से छूट प्राप्त है। उक्त लाभांश रियायतें रेलवे को सामान्य राजस्व से सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। (iii) 2005-06 तक सामरिक लाइनों पर हुए नुकसान को देय लाभांश से घटाया गया। तथापि, 2006-07 से इन नुकसानों की प्रतिपूर्ति आर्थिक कार्य विभाग की मांग के तहत किए गए प्रावधान के जरिए की जा रही है। (iv) जिन वर्षों में रेलवे का निवल राजस्व मौजूदा लाभांश देयता से पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं है, मौजूदा लाभांश के भुगतान में सभी को आस्थगित लाभांश देयता के रूप में समझा जाता है (जिस पर कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया जाता है) और जिसे रेलवे द्वारा भावी वर्षों में अधिशेष से उन्मोचित किया जाएगा। (v) उपर्युक्त वर्णित सिद्धान्तों के आधार पर, रेलवे द्वारा 2015-16 के संशोधित अनुमान और 2016-17 के बजट अनुमानों में देय लाभांश के अनुमानों से तैयार किया गया है। (vi) 1964-65 से पहले रेलवे द्वारा भुगतान किए गए 1.5 प्रतिशत लाभांश में से 23.12 करोड़ रुपए की राशि का अंशदान रेलवे द्वारा किया जाता है जो राज्यों को अनुदान के रूप में रेलवे यात्री किराया पर निरसित कर के बदले देने हेतु है और शेष राशि जो अब तक 2001-2002 से रेलवे सुरक्षा निर्माण निधि में अंशदान की जाती थी, उसे रेलवे द्वारा सीधे वित्त मंत्रालय और आरसीसी के अनुमोदन से रेलवे रक्षा निर्माण कार्यों में क्रेडिट किया जाता है।

1.04 अन्य ब्याज प्राप्तियां : "अन्य ब्याज प्राप्तियों" के तहत अनुमान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, पत्तन न्यासों तथा अन्य सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए अग्रिम ऋणों पर ब्याज के सम्बन्ध में और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर पूंजी परिव्यय हैं।

2. लाभांश तथा लाभ : इस भाग में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओँ से लाभांश तथा लाभ शामिल हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष भी शामिल हैं जो सरकार को अन्तरित किए जाते हैं।

3.02 अन्य राजकोषीय सेवाएं : ये प्राप्तियां मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय ईएफएफ प्रभार, आईएमएफ से प्राप्त आदि तथा आर्थिक अपराधों के एवज में प्राप्त शास्तियों आदि के अंशदानों से सम्बन्धित हैं।

4.01.01 "लोक सेवा आयोग" की प्राप्तियां मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा शुल्क आदि को प्रदर्शित करती हैं।

4.01.02 "पुलिस" की प्राप्तियां राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षकारों को सप्लाई किए गए केन्द्रीय पुलिस बल के कारण हैं। इन प्राप्तियों में दिल्ली पुलिस की प्राप्तियां भी शामिल हैं।

4.01.03 "पूर्ति तथा निपटान" के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः भण्डारों की खरीद तथा निरीक्षण हेतु शुल्कों, और अधिशेष और बेकार पड़े भण्डारों के पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के जरिए निपटान की बिक्री आय से सम्बन्धित हैं।

4.01.04 "स्टेशनरी तथा मुद्रण" के अन्तर्गत प्राप्तियां सरकारी मुद्रणालयों की स्टेशनरी, राजपत्र तथा सरकारी प्रकाशनों की बिक्री आदि से सम्बन्धित हैं।

4.01.06 "अन्य प्रशासनिक सेवाओं" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः लेखा परीक्षा शुल्क, पासपोर्ट एवं वीजा शुल्क आदि से सम्बद्ध हैं।

4.03.01 वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां रक्षा सेवा कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमैंट से सम्बन्धित हैं जिन्हें व्यय बजट में वाणिज्य विभागों के निवल व्यय के अन्तर्गत दिखाया जाता है।

5.01 "शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति" के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः ट्यूशन तथा अन्य शुल्कों एवं संग्रहालयों तथा प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से सम्बन्धित हैं।

5.02 "चिकित्सा" प्राप्तियों में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से संबंधित अंशदान और अस्पतालों तथा औषधालयों की प्रदत्त सेवाओं की एवज में रोगियों से वसूल किए गए चार्ज आदि शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राप्तियों में सेवा शुल्क, सेरा तथा वेक्सीन की बिक्री की प्राप्तियां आदि शामिल हैं।

5.03 "परिवार कल्याण" प्राप्तियां मुख्यतः सामग्रियों तथा आपूर्ति की बिक्री प्राप्तियों से सम्बन्धित हैं।

5.04 "आवासन" प्राप्तियां मुख्यतः सरकारी आवासीय भवनों से सम्बन्धित लाइसेंस शुल्क से सम्बद्ध हैं।

5.06 "सूचना तथा प्रचार" प्राप्तियों में विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार, प्रकाशन बिक्री, फिल्म किराया तथा फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन (एफएम) - चरण-III में किए जाने वाली और नीलामी से डीटीएच आपरेटरों से लाइसेंस शुल्क की प्राप्तियां शामिल हैं।

5.08 "श्रम और रोजगार" प्राप्तियां मुख्यतः श्रम कानूनों, कारखाना और खान अधिनियम आदि के अंतर्गत वसूल किए गए शुल्कों में संबंधित हैं।

5.09 "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" प्राप्तियां मुख्नाया केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम से सम्बन्धित है।

6.01 **कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां :** इस उप-क्षेत्र में कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों, बागवानी, पौध संरक्षण सेवाओं, कृषि शिक्षा से शुल्क, कृषि उत्पादों का गुणवत्ता नियन्त्रण और श्रेणीकरण हेतु शुल्क आदि से प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। दूसरे देशों और विदेशी संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसी निविष्टियों की बिक्री आय को भी इसकी गणना में लिया जाता है।

6.02 **सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण :** इस शीर्ष के अधीन अनुमानों में, मुख्यतः केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे की प्राप्तियां आती हैं। "लघु सिंचाई" के अधीन अनुमान केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों आदि के लिए किए गए भूमिगत जल की खोज से सम्बन्धित हैं।

6.03 **ऊर्जा :** इस शीर्ष के अधीन "विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" जैसे विभिन्न सेक्शनों से प्राप्त प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है। "विद्युत" शीर्ष में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्तियां दर्ज होती हैं। "पेट्रोलियम" शीर्ष के अधीन अनुमानों में अपतटीय कच्चे तेल और गैस उत्पादन लाभ पेट्रोलियम पर रॉयल्टी और किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस की अनन्य खोज के अधिकार के लिए लाइसेंस शुल्क से प्राप्तियां शामिल हैं।

6.03.02 पेट्रोलियम : (क) रॉयल्टी : पीएनजी नियमावली, 1959 की धारा 14 के अंतर्गत रॉयल्टी राज्य सरकार को भू-तटीय तेल और प्राकृतिक गैस ब्लाकों के लिए और केंद्र सरकार को अपतटीय तेल और प्राकृतिक गैस ब्लाकों के लिए देय है। कच्चे तेल पर रॉयल्टी आयलफिल्ड (विनियमन और विकास) अधिनियम 1948 की धारा 6क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 2003 द्वारा विनियमित की जाती है। इन सांविधियों और संबंधित अधिसूचनाओं के अनुसार कच्चे तेल सहित किसी भी खनिज तेल के संबंध में रॉयल्टी की दर आयल फिल्ड अथवा वेल ऐड पर खनिज तेल के बिक्री मूल्य से अधिक नहीं होगी। वर्तमान रॉयल्टी दरें दिनांक 16 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना में निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार हैः एनईएलपी ब्लॉक-कच्चा तेल/कंडेनसेट-रॉयल्टी आधार पर तटीय हेतु 12.5 प्रतिशत, रॉयल्टी आधार पर अपतटीय हेतु 10 प्रतिशत, रॉयल्टी आधार पर गहरे पानी के लिए पहले 7 वर्षो के लिए 5 प्रतिशत तथा 7 वर्ष पश्चात् 10 प्रतिशत। गैस-तटीय और अपतटीय रॉयल्टी आधार पर 10 प्रतिशत, रॉयल्टी आधार पर गहरे पानी के लिए पहले 7 वर्षों हेतु 5 प्रतिशत और 7 वर्ष पश्चात् 10 प्रतिशत (400 मीटर आइसोबाथ से अधिक) (ii) नामांकन ब्लाक :- कच्चा तेल/कंडेन्सेन्ट - रॉयल्टी आधार पर तटीय के लिए 20 प्रतिशत, अपतटीय के लिए 10 प्रतिशत/गैसः तटीय और अपतटीय ऑन कम रॉयल्टी आधार पर 10 प्रतिशत (iii) पूर्व-एनईएलपी खोजी फिल्ड :-कच्चा तेल/कंडेन्सेट, तटीय आन कम रॉयल्टी के लिए 20 प्रतिशत/लाइसेंसी पीएसपी के तहत निर्धारित प्रति मी.टन 481 रुपये/528 की विशिष्ट दर पर अदा करता है और केंद्र द्वारा दर का अंतर राज्यों को अदा किया जाता है। अपतटीय के लिए पीएससी के अनुसार प्रति मी.टन 481/528 रुपए विशिष्ट दर । गैसः रॉयल्टी आधार पर तटीय और अपतटीय हेतु 10 प्रतिशत (iv) पूर्व एनईएलपी खोजी ब्लॉक :- तटीय ब्लॉकों के लिए आन कम रॉयल्टी आधार पर 20 प्रतिशत, अपतटीय ब्लॉकों के लिए आन कम आधार 10 प्रतिशत ।

गैस : तटीय और अपतटीय के लिए रॉयल्टी आधार पर 10 प्रतिशत ।

(ख) लाभ पेट्रोलियम : लाभ पेट्रोलियम संविदागत क्षेत्र से उत्पादित कच्चा तेल, कन्डनसेट और प्राकृतिक गैस के मूल्य में से लागत पेट्रोलियम घटाने पर मिलता है और इसका निर्धारण तत्संबंधी पीएससी के उपबंधों के अनुसार होता है। राष्ट्रीय तेल कम्पनियों द्वारा नामित फील्डों से उत्पादन पर कोई लाभ पेट्रोलियम देय नहीं है। लाभ पेट्रोलियम उगाही भी कच्चे तेल और गैस के प्रचलित मूल्य के अनुसार भिन्न होती है। महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन (डीजीएच) इन पीएससी के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करते हैं। लाभ पेट्रोलियम तिमाही आधार पर देय है ।

(ग) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) शुल्क : पीईएल शुल्क का भुगतान प्रचालक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित पीएंडएनजी नियम, 1959 के अनुसार, अग्रिम रूप से वार्षिक आधार पर किया जाता है। अपतट फील्डों के मामले में, पीईएल शुल्क केंद्र सरकार के पास जाता है जबकि अभितट फील्डों के मामले में यह संबंधित राज्य सरकार को देय है। शुल्क की राशि लाइसेंसधारी से अपतट क्षेत्र के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा इसको प्रदान किए गए क्षेत्र के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा इसको प्रदान किए गए क्षेत्र के लिए राज्य सरकार से । पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम 2009 द्वारा

दिनांक 25/11/2009 को यथा संशोधित 16/12/2009 से प्रभावी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के अनुसार, लाइसेंस धारक को शुल्क अदा/जमा कराना होता है।

(घ) उत्पादन स्तर भुगतान (पीएलपी) : यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें संचालक जिस दिन से उत्पादन शुरू करता है उस दिन से सीबीएम के उत्पादन पर सरकार के साथ राजस्व साझा करता है। उत्पादन स्तर भुगतान प्रणाली अधिक पारदर्शी है और इसमें संचालन समिति या सरकार द्वारा में मामूली हस्तेक्षेप की अपेक्षा होती है। क्योंकि उत्पाद की लागत का निर्धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

6.04.01 'ग्रामीण और लघु उद्योग' शीर्ष में औद्योगिक सम्पदाओं, लघु, हकथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम उद्योग, विद्युत करघा और अन्य ग्राम उद्योगों से प्राप्तियां दर्ज की जाती है।

6.04.02 'उद्योग' के अधीन प्राप्तियां मुख्यतः परमाणु ऊर्जा उद्योगों और विभिन्न उद्योगों से संग्रहित लाइसेंस शुल्कों से सम्बन्धित हैं।

6.04.03 'गैर अयस्क खनन और धात्विक उद्योग' शीर्ष में मुख्यतः भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के मद में प्राप्तियों को समायोजित किया जाता है।

6.05.02 'पोत परिवहन' शीर्ष में जहाजों और नौका सेवाओं के सर्वेक्षण और पंजीकरण शुल्क की प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।

6.05.04 'सड़क और पुलः शीर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग के मद में प्राप्तियां शामिल हैं जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों, स्थाई पुलों के प्रयोग हेतु शुल्क तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए राज्य सरकार तथा अन्य निकायों से वसूले गए विभागीय प्रभार भी शामिल हैं।

6.06.01 'अन्य संचार सेवाओं' के अधीन प्राप्तियां मुख्यतः ट्राई की सिफारिशों के अनुसार लगाए जाने वाले एक बारगी स्पेक्ट्रम प्रभारों, 1800 मे. ह. और 900 मे. ह. स्पेकट्रम तथा 800 मे.ह. स्पेकट्रम की नीलामी की प्राप्तियों से संबंधित है । दूरसंचार विभाग इसके द्वारा दिए गए विभिन्न टेलीकॉम आपरेटरों से आवर्ती लाइसेंस शुल्क संग्रहित करता है। यह नए आपरेटरों से एकबारगी प्रविष्टि शुल्क भी संग्रहित करता है। मुख्य सेवा श्रेणियों में सेल्युलर मोबाइल सेवा, बुनियादी सेवा, यूनिफाइड एक्सेस सेवा, वी-सैट सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवाएं, अवसंरचना प्रदाता, इंटरनेट सेवाएं, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा और कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा शामिल है। कुछेक सेवाओं को छोड़कर, लाइसेंस शुल्क आपरेटरों के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशत हिस्से के आधार पर संग्रहित किया जाता है और इसमें यूनिवर्सल एक्सेस लेवी का घटक शामिल है। इसके बदले, एजीआर टैरिफ, ग्राहक आधार, प्रतिस्पर्धा आदि जैसे कारकों द्वारा प्रभावित होता है। लाइसेंस फीस से होने वाले संग्रह लाइसेंस फीस की दरों, प्रशुल्कों तथा देश में दूरसंचार सेवाओं की वृद्धि की दरों पर निर्भर करता है। स्पैक्ट्रम प्रभारों की वसूली विभाग द्वारा सेवा प्रदायकों द्वारा स्पैक्ट्रम के उपयोग पर की जाएगी तथा इसका परिकलन या तो उनके नेटवर्क (सीएमटीएस बेसिक, यूएएस तथा वाणिज्यिक वी सैट लाइसेंसों के लिए) के लिए निर्दिष्ट स्पैक्ट्रम प्रमात्रा पर निर्भर उनकी समायोजित सकल राजस्व की प्रतिशतता के रूप में किया जाएगा या किसी समान दर पर अथवा किसी फार्मूले (अन्यों के लिए) के आधार पर किया जाएगा।

6.07.01 "परमाणु ऊर्जा अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्तियां भाभा परमाणु शोध केन्द्र के विभिन्न प्रभागों/एककों द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा बिक्री से सम्बधित हैं।

6.07.02 'अन्य वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान" मुख्यतः भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय एटलस तथा थीमैटिक मैपिंग संगठन से सम्बन्धित है।

6.08.01 "विदेश व्यापार तथा निर्यात सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियां व्यापार तथा भुगतान समझौते के अन्तर्गत शेष के संबंध में भारत के पक्ष में विदेशी मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन पर अर्जित प्राप्तियां है ।

6.08.02 "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" शीर्ष के तहत मुख्य रूप से ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विनियमन तथा बीमा अधिनियम के तहत वसूली गई फीस शामिल है। इसमें भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग की प्राप्तियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी निकायों को प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्त फीस और जोखिम बीमा निधि सम्बन्धी प्राप्तियां भी शामिल हैं।

7. रेल राजस्व - रेल बजट के अनुसार प्राप्तियों में i) विविध प्राप्तियाँ ii) वाणिज्यिक लाइनें, और (iii) सामरिक लाइनें शामिल हैं। चूंकि यह वाणिज्यिक प्राप्ति है अतः कर-भिन्न राजस्व पर इसका प्रभाव शून्य है।

8. सहायता-अनुदान अंशदानः ये अनुमान बाहरी स्रोतों से नकद तथा अन्य प्रकार से प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में हैं। बाह्य सहायता का ब्यौरा अनुबंध 9 में दिया गया है।

9. संघ राज्य क्षेत्रों का कर-भिन्न राजस्व : (विधान मण्डलों रहित) संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं, विशेषकर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लकड़ी तथा वनोत्पाद की बिक्री, चण्डीगढ परिवहन उपक्रम से प्राप्त प्राप्तियां तथा पोत परिवहन से प्राप्त प्राप्तियां, पर्यटन तथा विद्युत आदि शामिल हैं।

कर-भिन्न राजस्व का बकाया : राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अनुपालन में कर-भिन्न राजस्वों के बकाया के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण विवरण अनुबंध 12 में देखा जा सकता है।